आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख

राजस्व विविध वाद सं0–03/2021–22

हरिनन्दन कुमार बनाम अंचल अधिकारी, पाकुड़ एवं कृष्णनन्दन कुमार

–: आदेश :–

यह अपील वाद अंचल अधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय नामान्तरण वाद सं0–808/2012–213 के पारित आदेश दिनांक–09.01.2013 के विरूद्ध अपीलार्थी हरिनन्दन कुमार, पिता– स्व0 प्रकाश कुमार, सा0– हरिणडांगा बाजार, पाकुड़ द्वारा दिये गये अपील आवेदन के फलस्वरूप प्रारम्भ हुआ है। U/S 5 &12 of limitation Act के साथ समय को क्षान्त करने का अनुरोध किया गया। समय क्षान्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत कर वाद में अंचल अधिकारी, पाकुड़ से प्रतिवेदन की मांग की गई एवं दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया गया। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता से अपना लिखित पक्ष प्राप्त है। दोनों पक्षों के बीच मौजा– पाकुड़ नं0–128 जमाबंदी नं0–10, दाग नं0–1859 रकवा– 00बी0–09क0–13धूर भूमि में से रकवा–00बी0–03क0–8½धूर भूमि का नामान्तरण के संबंध में विवाद है। वाद के संबंध में दोनों पक्षों को नोटिस किया गया। दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहसनामा उपस्थित होकर समर्पित किये। दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता की पक्ष सुनवाई की गई। अपीलकर्त्ता का कहना है कि मौजा– पाकुड़ नं0– 128, जमाबंदी नं0–10, दाग नं0–1859 कुल रकवा– 00बी0–09क0–13धूर उनकी माँ दमयन्ती देवी द्वारा निबंधन दस्तावेज नं0–791 एंव 792 दिनांक– 11.07.2000 द्वारा कय किया गया एवं जिसके विरूद्ध 9 कट्ठा 17 धूर भूमि पर दखल कब्जा है। पारिवारिक बंटनामा दिनांक–07.10.2011 को पंचों के समक्ष किया गया एवं दमयन्ती देवी के चार पुत्र क्रमशः शिवनंन्दन कुमार, शंभु नन्दन कुमार, कृष्ण नन्दन कुमार ऐवं हरिनन्दन कुमार को भूमि का बंटवारा किया गया, जिसके अनुसार शम्भु नन्दन कुमार को 03 कट्ठा 01 धूर, कृष्ण नन्दन कुमार को रकवा–00बी0–03क0–12½धूर (ब्लॉक B और C के बीच 4धूर गली सहित), एवं रकवा–00बी0–03क0–3½धूर अपीलकर्ता हरिनन्दन कुमार को दिया गया। परन्तु विपक्षी कृष्ण नन्दन कुमार रकवा–00बी0–03क0–12½धूर भूमि के स्थान पर रकवा–00बी0–03क0–8½धूर निबंधन द्वारा कय किया गया। जिसमें 8½धूर (04धूर गली सहित, 04धूर Band Box को छोड़कर) गलत ढंग से हड़प लियें हैं। इसी निबंधन दस्तावेज के अनुसार विपक्षी अंचल पाकुड़ के दाखिल–खारिज वाद सं0–808/12–13 द्वारा तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाकुड़ से नामान्तरण करा लिया जो रद्द किया जाना

चाहिए। बंटननामा के अनुसार विपक्षी को रकवा–00बी0–03क0–12½धूर भूमि परन्तु रकवा–00बी0–03क0–8½धूर का निबंधन कराया तथा 04धूर Band Box के भाग छोड़कर दाखिल–खारिज कराया। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल खारिज अभिलेख की कार्रवाई का Process 16 आना रैयत के नोटिस शुद्धिपत्र में बहुत अनियमितता है। इसलिये इसे रद्द किया जाना चाहिए। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा दाखिल खारिज की कार्रवाई में रिक्त नोटिस पर ही विक्रेता एवं अन्य का हस्ताक्षर कराया है। दाखिल खारिज के पूर्व Mother deed का जाँच भी नहीं किया गया। अभिलेख के आदेश फलक पर आदेश के समय भूमि का विवरण दर्ज नहीं है। इसलिये दाखिल खारिज अभिलेख सं0–808/12–13 में अभिलेख में भूमि विवरण रिक्त पर ही स्वीकृत आदेश किया गया है। नोटिस में सभी हिस्सेदारों को नोटिस नहीं दिया गया और न सुनवाई की गई इसलिये अंचल अधिकारी, पाकुड़ का आदेश रद्द किया जाय।

विपक्षी कृष्ण नन्दन कुमार का अपने लिखित अभिकथन द्वारा कहना है कि दाखिल खारिज वाद सं0–808/12–13 की स्वीकृति के लम्बी अवधि के पश्चात् अपील किया गया है इसलिये limitation Law से आच्छादित होने के कारण अपील रद्द किया जाना चाहिए। M.case No-808/2012&13 में दिनांक–09.01.2013 को आदेश हुआ है एवं वर्त्तमान अपील दिनांक–24.06.2021 को लगभग आठ वर्षों के बाद दाखिल किया गया है जो कालबाधित है।

दोनों पक्षों के बीच दिनांक– 07.10.2011 को पारिवारिक व्यवस्था के तहत बंटवारा केवाला अबतक प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौजा– पाकुड़ नं0–128 के दाग नं0–1859 रकवा–00बी0–09क0–13धूर माँ दयमन्ती देवी द्वारा निबंधित विक्रय केवाला सं0–791 दिनांक–11.07.2000 एवं 792 दिनांक–11.07.2000 द्वारा क्रय के पश्चात अपने नाम से नामान्तरण कराया इसके पश्चात विपक्षी सं0–02 के नाम विपक्षी का कहना है कि दिनांक–22.12.2012 को कृष्ण नन्दन कुमार के द्वारा रकवा–00बी0–03क0–8½धूर भूमि निबंधित केवाला सं0–4994/12 द्वारा अपनी माँ से क्रय किया गया एवं दखल–कब्जा प्राप्त किया एवं दाखिल खारिज वाद सं0–808/12–13 द्वारा नामान्तरण कराकर लगान देते आ रहे हैं जिसके विरूद्ध परिवार के किसी सदस्य द्वारा आपत्ति नहीं किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा आठ वर्षो के पश्चात् आपत्ति किया जा रहा है जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलकर्ता का दावा दिनांक–07.10.2011 को पंच के माध्यम से हुए पारिवारिक बंटननामा के आधार पर किया जा रहा है। ऐसा कोई दस्तावेज इस सम्पत्ति के संबंध में नहीं है और न ही दमयन्ति देवी द्वारा एसे किसी दस्तावेज में हस्ताक्षर किया गया है। अगर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो इसे जाली माना जायगा। अपीलकर्ता द्वारा दाखिल–खारिज

10–808 / 12 के अभिलेख की कार्रवाई गलत होने के संबंध में लगाये गये शिकायत के संबंध में विपक्षी नं0–2 का कहना है कि उनके द्वारा रकवा–00बी0–03क0–00धूर दाग नं0–1859 जमाबंदी नं0–10 दाखिल खारिज के आवेदन में दर्शाया गया परन्तु दाखिल खारिज किये गये रकवा जो उनके द्वारा क्रय किया गया है रकवा–00बी0–03क0–8½धूर ही दाखिल खारिज किया गया है। विपक्षी नं0–2 अपने आवेदन के साथ निबंधित केवाला सं0–4994 / 2012 जिसके द्वारा रकवा–00बी0–03क0–8½धूर क्रय किया गया है, संलग्न किया गया एवं 16 आना रैयत के प्रतिवेदन से भी अनापत्ति प्राप्त किया गया है इसलिये दाखिल खारिज की कार्रवाई में कोई अनियमितता नहीं है, अभिलेख में हुई लिपिकिय भूल के कारण विपक्षी नं0–2 का पक्ष को कमजोर नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता द्वारा निबंधित केवाला सं0–4994 वर्ष 2012 को रद्द करने के संबंध में कोई वाद दायर नहीं किया गया है। विपक्षी सं0–02 का भूमि पर दखल कब्जा है। अपीलकर्ता को विपक्षी सं0–02 द्वारा क्रय की गई भूमि के नामान्तरण को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है।

अंचल अधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक–192 / रा0 दिनांक–25.02.2022 द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक–637 / भू0सु0 दिनांक– 29.11.2021 के आलोक में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा नामान्तरण वाद सं0–9119R–27 / 2020–21 के संबंध में की गई आपत्ति के संदर्भ में प्रतिवेदित किये हैं कि:–

नामान्तरण वाद सं0–9119R–27 / 2020–21 में आवेदक हरिनन्दन कुमार पिता– स्व0 प्रकाश कुमार द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन बिक्री केवाला सं0–822 / 24.02.2021 के आधार पर किया गया था। आवेदक द्वारा परिवाद पत्र में दाग नं0–1859 के विषय में अनिबंधित पारिवारिक बंटननामा का उल्लेख किया गया है जो नामान्तरण वाद सं0– 9119R–27 / 2020–21 के साथ संलग्न नहीं था। आवेदक द्वारा नामान्तरण Sale deed No-822 / 24.02.2021 के आधार पर किया गया था। शम्भु नन्दन कुमार एवं कृष्ण नन्दन कुमार द्वारा बिहार काश्तकार जोत (अभिलेख संधारण) अधिनियम 1973 के धारा 14(2) के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई की गयी है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आपत्तिकर्ता को उनके द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है एवं अलग–अलग ज्ञापांक के द्वारा आवेदित भूमि के सीमांकन हेतु आदेश निर्गत किया गया है, परन्तु आवेदक हरिनन्दन कुमार द्वारा सीमांकन नहीं करने हेतु अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात् इस स्थिति में राजस्व दस्तावेजों में संलग्न नजरी नक्शा के आधार पर

आवेदित रकबा का भौतिक दखल की स्थिति के आधार पर नामान्तरण हेतु आ निर्गत किया गया है। प्रतिवेदन के साथ संलग्न राजस्व कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक/ अमीन के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि नामान्तरण वाद सं0–9119R–27/ 2020–21 के विरूद्ध शम्भुनन्दन कुमार व कृष्ण नन्दन कुमार द्वारा आपत्ति दर्ज की गयी है कि हरिनन्दन कुमार द्वारा निबंधित केवाला– 822/ 24.02.2021 के माध्यम से क्रय की भूमि के नक्शा और भौतिक स्थिति में एकरूपता नहीं है। नामान्तरण वाद सं0–9119R–27/ 2020–21 में दाग नं0– 1859 रकबा–00बी0–03क0–3½धूर भूमि के सीमांकण करने का आदेश दिये जाने पर दिनांक–08.06.2021 को सरजमीन पर हरिनन्दन कुमार भगत की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी द्वारा सीमांकण का विरोध किया गया। आवेदक एवं आपत्तिकर्ता तीनों ने दाग नं0–1859 में अपनी माँ दमयन्ती देवी से भूमि क्रय किया है। पंजी–।। के होल्डिंग संख्या–6008 दाग नं0–1859 शेष रकबा–00बी0–03क0–4½धूर शेष है। पूर्व में रकबा–00बी0–09क0–13धूर (दमयन्ती देवी) में से आपत्तिकर्ता शम्भुनन्दन भगत को रकबा–00बी0–03क0–00धूर एवं कृष्ण नन्दन कुमार को दाग नं0–1859 में रकबा–00बी0–03क0–8½धूर भूमि का नामान्तरण किया जा चूका है। आपत्तिकर्ता द्वारा समर्पित केवाला सं0–4992/22.12.2012 एवं 4994/ 22.12.2012 में संलग्न नक्शा एवं अमीन द्वारा सरजमीन पर समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार दाग नं0– 1859 में रकबा–00बी0–09क0–13धूर की भौतिक स्थिति – रकबा–00बी0–03क0–00धूर शम्भुनन्दन कुमार, रकबा–00बी0–03क0–18½धूर कृष्ण नन्दन कुमार, रकबा–00बी0–00क0–06धूर जमीन बैण्ड बॉक्स। शेष रकबा–00बी0–02क0–18½धूर अवशेष रकबा बचा प्रतिवेदित करते हुए नामान्तरण वाद सं0–9113/20–21 में आवेदित रकबा में से रकबा–00बी0–02क0–8½धूर नामान्तरण की अनुसंशा किया गया है अमीन का नजरी रक्शा संलग्न है। हरिनन्दन कुमार द्वारा समर्पित नजरी नक्शा भी संलग्न है। बैण्ड बॉक्स का रकबा–00बी0–00क0–06धूर भूमि के संबंध में दस्तावेज संलग्न नहीं है, जबकि दमयन्ती देवी के नाम कुल रकबा–00बी0–09क0–13धूर भूमि में से तीनों भाईयों ने क्रमशः रकबा–00बी0–03क0–00धूर, रकबा–00बी0–03क0–08½धूर एवं अपीलकर्ता ने रकबा–00बी0–03क0–3½धूर भूमि क्रय किया है।

अंचल अधिकारी, पाकुड़ से निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन किया ।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता की सुनवाई, निम्न न्यायालय के अभिलेख तथा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के जाँच प्रतिवेदन, समर्पित दस्तावेज के

11

अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी कृष्ण नन्दन कुमार द्वारा निबंधन केवाला सं0–4994 दिनांक–22.12.2012 द्वारा अपनी माँ दमयन्ती देवी से पाकुड़ मौजा नं0–128 खाता सं0–10, दाग नं0–1859 में रकवा–00वी0–03क0–8½धूर भूमि क्रय किया जिसका नामान्तरण अंचल अधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय दाखिल खारिज वाद नं0–808/12–13 द्वारा संस्थित हुआ एवं अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा नामान्तरण स्वीकृत किया गया। अपीलकर्ता द्वारा उक्त नामान्तरण वाद के विरूद्ध दिनांक–24.06.2021 को अपील वाद दायर किया गया। अपीलकर्ता निम्न न्यायालय के अभिलेख की कार्रवाई की अनियमितता एवं दिनांक–07.10.2011 को पारिवारिक पंच के माध्यम से हुए पारिवारिक बंटन के आधार पर नामान्तरण को रद्द कराना चाहतें हैं। पारिवारिक बंटन से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस न्यायालय में नामान्तरण से संबंधित सुनवाई हेतु प्रस्तुत वाद संस्थित है। नामान्तरण के नियमों के अनुसार भूमि पर विपक्षी नं0–02 का दखल कब्जा है जो अंचल अधिकारी, पाकुड़ के नामान्तरण अभिलेख सं0–808/12 के साथ संलग्न राजस्व कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से प्रमाणित होता है। प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल नहीं होने के संबंध में अपीलकर्ता कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रश्नगत भूमि विपक्षी नं0–02 को निबंधित डीड नं0–4994 दिनांक– 22.12.2012 से माँ दमयन्ती देवी (जो अपीलकर्ता की माँ भी है) द्वारा विक्रय किया गया है, जिसे रद्द करने के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय अंचल अधिकारी, पाकुड़ के नामान्तरण अभिलेख सं0–808/2012 द्वारा विपक्षी नं0–02 कृष्ण नन्दन कुमार के नाम की गई नामान्तरण को रद्द करने का कोई आधार नहीं पाता हूँ। इस आधार पर अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

आदेश से उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को अवगत करावें एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पाकुड़ को अनुपालन हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 1/8/22
भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता
पाकुड़

(हस्ताक्षर) 1/8/22
भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता
पाकुड़।

Digitally signed by HARI BANSH PANDIT
Date: 2023.03.11 13:04:58 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:50:3a01:62dc:ce87